भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4170
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

उच्च गुणवत्ता वाले छोटे प्याज की खेती

4170. श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या घरेलू बाजार के साथ-साथ दक्षिण भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी वाले देशों में निर्यात के लिए दक्षिण भारतीय छोटे प्याज की बहुत मांग है;
(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत में उच्च गुणवत्ता वाले छोटे प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्याज संघों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या हाल ही में छोटे प्याज को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किए जाने से उनकी विशिष्ट पहचान मिली है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अब तक इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, प्याज की खेती सहित बागवानी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन करती है। एमआईडीएच के अंतर्गत, प्याज सहित खुले परागण वाली सब्जियों के संबंध में फसल क्षेत्र के विस्तार के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम लागत के 40% की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में अधिकतम लागत के 50% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। वाइब्रेंट गांवों के मामले में अधिकतम लागत के 80% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय में दक्षिण भारतीय छोटे प्याज की घरेलू मांग और निर्यात पर कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, तमिलनाडु के चेट्टीकुलम छोटे प्याज के लिए 4 जुलाई 2022 को आवेदन किया गया था और इसे वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत कृषि श्रेणी में भौगोलिक संकेत (जीआई) के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस मंत्रालय में दक्षिण भारतीय छोटे प्याज से प्राप्त राजस्व का डेटा नहीं है।

*****